झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची, दिनांक-11/11/2022

संख्या-5/आरोप-1-8/2021-18014 (HRMS)/ श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-818/03), निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-471, दिनांक 15.02.2021 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि श्री दिलीप तिर्की, प्रबंध निदेशक,जे०एस०एफ०सी० द्वारा रिवाॅल्विंग फण्ड के राशि के साथ-साथ अन्य राशि को सम्मिलित करते हुए 281.00 करोड़ एच०डी०एफ०सी० के बैंक खाता सं0- 20100291914103 में सावधि जमा के रूप में संधारित कर दिया गया, जो वित्तीय अनियमितता है एवं उनके पत्रांक-2217, दिनांक 02.12.2020 द्वारा धान अधिप्राप्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु रूपये 300.00 करोड़ की माँग कर जे०एस०एफ०सी० के वित्तीय स्थिति के संबंध में विभाग को दिग्भ्रमित करने की कुत्सित प्रयास किया गया। साथ ही, श्री तिर्की द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2020-21 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति योजना हेतु धान अधिप्राप्ति केन्द्रों के संबंध में लगभग 15 दिनों बाद आधा अधूरा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जो सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। इसी प्रकार, खरीफ विपणन मौसम 2020-21 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार से अनुमोदित मूल्य तालिका के आलोक में भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त होने वाले विभिन्न Incidential Charges के विरूद्ध तालिकाबद्ध प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की माँग की गई, जिसके आलोक में श्री तिर्की द्वारा अधूरा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जो इनके सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1893, दिनांक 24.03.2021 द्वारा श्री तिर्की से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री तिर्की के पत्रांक-1312, दिनांक 07.09.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री तिर्की द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से कहा गया इनके द्वारा निगम के सक्षम प्राधिकार "निदेशक पर्षद्" की 26वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार पूर्व से संधारित बैंक एच०डी०एफ०सी० के खाता संख्या- 50100291914103 जो Operation मद की राशि है में से 281 करोड़ रूपये को सावधि जमा में नियमपूर्वक रखा गया, जिससे निगम को वित्तीय स्थिति मजबूत हुई तथा साधारण जमा से 4 करोड़ रूपये अधिक राशि निगम को प्राप्त हुई। धान अधिप्राप्ति मद में 169 करोड़ रूपये ही अवशेष था जो लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति करने के लिए नाकाफी थी। इसमें कोई वित्तीय अनियमिता नहीं हुई और न ही वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है बल्कि कोरोना महामारी काल में गिरते ब्याज दर के समय भी 4 करोड़ रूपये का लाभ निगम को सावधि जमा के रूप में अधिक प्राप्त हुई है। आधा अधूरा प्रतिवेदन भेजन के संबंध में इनके द्वारा कहा गया कि सभी जिला प्रबंधकों से निगम के पत्रांक-2250, दिनांक 04.12.2020 द्वारा सीधी लौटती डाक से प्रतिवेदन मांगा गया था। प्रतिवेदन फॉर्मेट वृहत होने एवं वांछित सूचना सामग्री अधिक होने के कारण प्रबंधकों द्वारा सीधी लौटती डाक से न भेजकर तीन-चार दिनों के बाद प्रतिवेदन निगम को उपलब्ध कराया गया। जिला से जिस रूप में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ वैसा ही प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया। अधूरा एवं भ्रामक प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। श्री तिर्की द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह भी अंकित किया गया कि इनके द्वारा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती गई है और न ही वित्तीय कुप्रबंधन या अकुशलता का परिचय दिया गया है और न वरीय पदाधिकारियों के आदेश या विभागीय निदेशों की अवहेलना की है बल्कि निगम के नियम/निदेशक पर्षद् द्वारा लिये गये निदेश एवं विभाग के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

श्री तिर्की के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6244, दिनांक 04.10.2021 द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी, जिसके आलोक में उनके पत्रांक-998, दिनांक 06.04.2022 द्वारा श्री तिर्की के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है-

1. यह राशि मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण तथा अंत्योदय अन्न योजना हेतु रिवोलविंग फंड के रूप में दी गयी है। अतः स्पष्टीकरण से सहमत हुआ जा सकता है। सावधि जमा की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक-ii में संधारित है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि सावधि जमा दिनांक 03.08.2020 से की जा रही है, जो श्री तिर्की के प्रभार ग्रहण की तिथि 18.06.2020 के पूर्व से ही हो रहा है। ऐसे सावधि जमा से निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई। अतएव स्पष्टीकरण से सहमत हुआ जा सकता है।

2. खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान नये धान क्रय केन्द्रों के लगातार खोले जाने एवं जिलों से विलम्ब से प्रतिवेदन प्राप्त होने के कारण पूर्ण प्रतिवेदन प्रेषित करने में देर होना बताया गया है। अतएव इससे सहमत हुआ जा सकता है।

3. जे०एस०एफ०सी० के पत्रांक-2563, दिनांक 13.08.2021 द्वारा भी 2020-21 में भुगतान विवरणी एवं अन्य Incidential Charges की माँग की गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि एफ०सी०आई० से 2020-21 का जिलावार भुगतान विवरणी एवं इन्सिडेंसीयल चार्जेस अप्राप्त था। अतएव इस कथन से सहमत हुआ जा सकता है।

श्री तिर्की के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-3353, दिनांक 30.05.2022 द्वारा निम्न बिन्दु पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से स्पष्ट मंतव्य की माँग की गयी-

"स्पष्ट है कि 300 करोड़ NABARD से ऋण लेने की योजना थी। ऋण की लागत पर भुगतेय ब्याज दर, सावधि जमा पर अर्जित ब्याज दर से सामान्यतः अधिक होती है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रेषित अधियाचना के आलोक में उक्त अवधि में धान क्रय हेतु ऋण प्राप्त की गयी है या नहीं "

उक्त के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1812, दिनांक 05.07.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया किया गया कि श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0, निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय-सह-तत्कालीन प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची द्वारा अपने कार्यकाल में धान क्रय हेतु ऋण नहीं लिया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-998, दिनांक 06.04.2022 द्वारा प्राप्त मंतव्य एवं पत्रांक-1812, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आलोक में श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0 निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	DILIP TIRKEY BHR/BAS/3810	श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-818/03) ,निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रंजीत कुमार लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

ज्ञापांक-5/आरोप-1-8/2021-18014 (HRMS)/राँची दिनांक-11/11/2022

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/आरोप-1-8/2021-18014 (HRMS)/राँची दिनांक-11/11/2022

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव प्रशाखा-6/विभागीय अवर सचिव प्रशाखा-5/श्री दिलीप तिर्की, झा0प्र0से0, निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Prepared By:- AMIT KUMAR SINGH - (110063543278)